

4-8-23

पत्रावली आज पेश हुई।

वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।

पत्रावली में मूल वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गई है। इस आवेदन को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कमिश्नर
(SDO) धोरीमन्ना

